SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, these schemes are not pending with us. The amount mentioned is not correct.

*237. *[The questioner (Shri S.M. Laljan Basha) was absent. For answer vide pages 39-40.]*

*238. *[The questioner (Prof. Alka Balram Kshatriya) was absent. For answer vide page 40.]*

Wealth Tax and Income Tax dues

*239. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an amount aggregating several thousand crores of rupees is being shown as outstanding demand in the records of Government on account of Wealth Tax/Income Tax etc.;

(b) whether Wealth Tax/Income Tax dues are outstanding because of huge litigation and cases pending at various levels such as CIT Appeals, Income Tax, High Courts and Supreme Court; and

(c) whether Government are thinking of expediting the settlement of such cases and if so, how?

THE FINANCE MINISTER (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The Government has announced the setting up of more Benches of Income Tax Appellate Tribunal, together with a 'National Tax Tribunal' for expeditious disposal of the cases under litigation. Moreover, the Commissioners (Appeal) have been directed to dispose off pending appeals quickly, particularly the High Demand Appeals.

श्री प्रेम गुप्ता: सर, आपकी कृपा हुई तो क्वेश्चन आ गया। ...(व्यवधान)...Sir, thousands of crores of rupees are outstanding in the Government books on account of tax arrears, recovery, etc. Sir, in the year 2001, Rs. 39,631 crore were shown as tax due. The CAG in its report of 2003 has stated that 22 per cent of this amount is more than five years old. Almost

Rs. 8000 crores are pending for 2-5 years. Sir, has the hon. Minister or the Government given any attention to this recovery? I mean to say that such recoveries are not raised in an unjustified manner. After all, there should be some accountability; in the Income-tax Act, there is a provision that the Assessing Officer is not accountable.

MR. CHAIRMAN: Please, be brief. There are so many questions.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, मेरा कहना है कि गलत रिकवरीज खड़ी की जाती है। क्या आपने कभी इसके बदले में असेसिंग आफिसर के ऊपर कोई एकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की सोची है, कभी स्टडी की है कि उसकी रिकवरी कितनी ठीक थी, कितनी ठीक नहीं थी?

MR. CHAIRMAN: The first supplementary is over.

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, यह बात सही है कि जो टैक्स आफिसर है उनमें ऐसी प्रवृत्ति है। भारी डिमांड खड़ी होती है। इस डिमांड का थोड़ा सा प्रतिशत रिकवर किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े दूंगा। मैं स्वंय इस बारे में चिंतित हूं। इस संबंध में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। मसलन टैक्स डिमांड 70,670 करोड़ रुपए में से केवल 24,637 करोड़ इज नेट कलेक्टेबल डिमांड है यानी करीब 35 प्रतिशत कलेक्टेबल होता है। इसके पीछे कई कारण हो जाते हैं कि यह इतनी बड़ी डिमांड क्यों होती है, तो मैं बता दूं कि एक तो असेसमेंट के वक्त असेसी पर बहुत ज्यादा डिमांड करना हमारी प्रवृत्ति हैं, फिर कोर्ट कचहरी में भी मुकदमें चले जाते हैं। इस संबंध में हमने अभी कई कदम उठाए हैं। अभी हाल में एक कदम उठाया है। मसलन कम्पाउंडिक को लेकर उठाया है। मैंने पाया कि कम्पाउंडिंग के नाम पर, मुझे सही याद नहीं आ रहा है लेकिन करीब 40,000 या 37,000 हजार करोड़ रुपए ड्यू थे। हमने उनसे कहा कि आप कम्पाउंडिंग फीस कम कर दीजिए। इसकी घोषणा कर दी है और मुझे विश्वास हैं कि कम्पाउंडिंग फिस कम करने से कई सारे ये मुकदमें कम हो जाएंगे, डिमांड कलेक्ट हो जाएंगी। सरकार प्रयत्न कर रही है कि एक्सेस डिमांड रेज न की जाएं, जल्दी से जल्दी केसेज का निबटारा किया जाए। आपको मालूम है कि इसके लिए हमने अभी एक नेशनल टैंक्स ट्रिब्यूनल की घोषणा की हैं। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल-एक स्टेट में कोई निर्णय होता है और दूसरे में कोई निर्णय होता है-आई.टी.ए.टी. के भी हमने कुछ नई एडीशनल बेंचस बैठाने का फैसला किया है ताकि जल्दी से जल्दी से सब टैक्स डिमांड कम की जाएं।

श्री प्रेम गुप्ता: सभापति जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस बारे में चिंतित हैं लेकिन यह इसका सोल्यूशन नहीं है। सभापति जी, इन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये रिकवरेबल है लेकिन ये

24,000 करोड़ रुपए लिटिगेशन में स्टक अप है उसमें आपको 2400 करोड़ भी नहीं मिलने वाले है। आपको इसके रूट कॉज में जाना होगा। जो असेसिंग आफीसर डिमांड खड़ी करते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप रूट कॉज में गए हुए हैं क्या?

श्री प्रेम गुप्ता: सभापति जी, ये* कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, ये*लोग बैठे हैं, ये असेसी को परेशान कर रहे हैं। एक-एक असेसमेंट में दस-दस जगहों पर एक असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड खड़ी कर दी लेकिन उसका अंत क्या होता है, यह देखा जाए। इस देश के अंदर आप इस चीज का एक फैसला करवा लीजिए कि जो डिमांड असेस की जाती है अगर उसकी दस प्रतिशत की रिकवरी सुप्रीम कोर्ट तक फाइल नहीं होती है तो उसे सजा दी जाए। आपकी 90 परसेंट प्राब्लम खत्म हो जाएगी। आज उसके असैसिंग ऑफिसर की एकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप 10 परसेंट रिकवरेबल कर दीजिए।

श्री सभापति: आप विचार कीजिए, बड़ा इंपोर्टेंट मैटर है।

श्री प्रेम गुप्ता: इसके ऊपर सर, आप हाउस को एश्योर करिए कि आगे से इस तरह का काम नहीं होगा ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: जहां केस नहीं बनता, वहां केस करता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बिल्कुल सही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: *का असली अड्डा वही है।

श्री सभापति: *बोलिए,*शब्द एक्सपंज कर दीजिए, चाहे किसी का भी हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री जसंवत सिंह: सभापति जी, यद्यपि मेरा विभाग*का अड्डा है तो फिर मैं प्रोवोक* रहा, किन्तु ऐसा है नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: नहीं सर, आप तो फसे हुए हैं, सर,।

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए।

श्री प्रेम गुप्ता: आप रायल ब्लड से हैं और आप एकाउंटिंग में ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री जसवंत सिंह: कई कदम उठाए गए हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करूं, जब से मुझे यह नौकरी सुपुर्द हुए है तब से कई कदम उठाए हैं। अब सारे कदमों का अगर मैं यहां उल्लेख करने लगूं तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: महोदय, जबर्दस्ती हमारे ऊपर दो करोड़ गिराए हुए हैं।

श्री सभापति: यह आपका पर्सनल मामला है, इसलिए आप न उठाइए।

श्री लालू प्रसाद: यह पर्सनल नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, जवाब देने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, ठीक है। ...(**व्यवधान**)... बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह: कोई एक मुकदमा है तो मैं यहां उसकी बहस कर नहीं सकता।

श्री सभापति: नहीं, यह सब की आम शिकायत है कि असैसमेंट होने के बाद लोगों को परेशानी होती है। ...(**व्यवधान**)... गलत असैसमेंट होता है। लोगों को कोर्ट्स में, अपर कोर्ट्स में जाना पड़ता है। इसको रोकने की कोई प्रभावी व्यवस्था करिए, सब की यही मांग है।

श्री जसवंत सिंह: मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। सभापति जी, मैं इसी प्रयत्न में लगा हूं। कई कदम उठाए हैं। अब उनकी सूची यहां पढ़ना ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: सर, इसमें आप एक एकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए।

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट। नैक्स्ट क्वश्चन। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, एक एकाउंटेबिलिटी फिक्स करवा दीजिए।

श्री सभापति: वह बात आ गई है।

श्री प्रेम गुप्ता: इससे 90 परसेंट समस्या खत्म हो जाएगी।

श्री सभापति: बात कर रहे हैं, यह बात आ गई है। ...(**व्यवधान**)... ठीक है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.